संख्या-10/2015/229/चालीस-2015-बजट(04)/14

प्रेषक,

अशोक कुमार,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

आगरा मण्डल,

आगरा ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 2015

विषय: अन्तर्जातीय विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन पुरस्कार देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-2172/पन्द्रह-न्याय सहायक-7/2014-15, दिनांक 24-03-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी नियमावली, 1976 सपठित संशोधन विज्ञप्ति सं0-402/चालीस-10-(27)/2006, दिनांक 30 मार्च, 2010 तथा "पुरस्कार की धनराशि" को संशोधित कर रू0 50,000/-(पचास हजार मात्र) किए जाने सम्बन्धी संशोधन विज्ञप्ति सं0-354/चालीस-2013-20(27)/2006, दिनांक 21 मार्च, 2013 में दी गई शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अन्तर्जातीय विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 60,00,000/- के सापेक्ष अवशेष/बचत धनराशि में से आगरा मण्डल के लिए रू0 3,50,000/-(रू0 तीन लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि उ0प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976 के नियम-5 के अधीन दी गई शर्तों के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-53 के अधीन लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102- अन्तर्जातीय विवाह जिसमें दम्पत्ति का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो, प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत नकद पुरस्कार (के.50 प्रतिशत + रा. 50 प्रतिशत) -20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित छाया प्रति के साथ शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी धनराशि का व्यय 31 मार्च, 2015 तक हो सके।

6- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
सचिव।

संख्या- 10/2015/229/(1)चालीस-2015-बजट(04)/14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , इलाहाबाद।
(2) जिलाधिकारी, आगरा, मथुरा ।
(3) प्रधान लेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 , इलाहाबाद।
(4) वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट एवं प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा, भवन-15, नार्थ हिल रोड, इलाहाबाद।
(5) मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड बुक/ बजट सहायक।

आज्ञा से,

(राम लखन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।